राजस्थान पत्रिका . जयपुर, बुधवार, 01 अगस्त, 2018
patrika.com

पत्रिका सिटीजन

जेडीए की कार्रवाई : उपभोक्ता सहकारी समिति ही बेचेगी दवाएं

दुर्लभजी अस्पताल में मेडिकल सहित तीन दुकानें सील

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

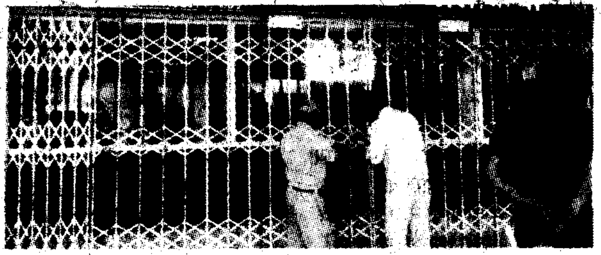

जयपुर. जेडीए ने संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में अवैध रूप से संचालित मेडिकल शॉप, सैलून व बुक स्टॉल को मंगलवार को सील कर दिया।

मामले में रियायती दर पर मिली जमीन पर लाभ की गतिविधि चलाने पर नोटिस दिया गया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी थी। इस बीच यह निर्णय किया गया कि अब अस्पताल में उपभोक्ता सहकारी समिति के जरिए ही दवा की दुकान का संचालन होगा। इसके लिए जेडीसी ने सहकारिता विभाग को पत्र भी भेजा है। बताया गया कि अस्पताल प्रशासन ने ऐसी गतिविधियां अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के लिए जरूरी बताई थी। लेकिन जेडीए ने इसे नकार दिया। गौरतलब है कि अस्पताल का अवैध निर्माण बचाने का रास्ता तलाशने वन मंत्री गजेन्द्र खींवसर 2 माह पहले जेडीए पहुंचे थे। तब संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल के योगेन्द्र दुर्लभजी भी साथ थे। वहां इस पर चर्चा की गई थी कि नुकसान किस तरह न्यूनतम हो सकता है।

दबाव पूरा, लोकायुक्त प्रकरण में फंसे

यहां अब भी कई निर्माण बचे हैं, जिन्हें वैध (कम्पाउंड) करने के लिए कहा गया है। जेडीए इस रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण कर रहा है। जेडीए पर दबाव है कि जो अवैध निर्माण रह गए, उन्हें नहीं हटाया जाए। हालांकि लोकायुक्त प्रकरण होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। इसी कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी है।

यह हटाने का दावा

- बेसमेंट तल के ऊपर टिनशेड स्टोर-बेसमेंट तल के ऊपर बालकनी को गमले लगा बंद किया। इसे ओपीडी से आइपीडी में मरीजों के आवागमन के लिए रास्ते के रूप में काम में ले रहे थे।
- ब्लड बैंक भवन के साइड सेटबैक में टीपीएस ऑफिस व इसके ऊपर [illegible] लॉज नाम से चिकित्सकों के [illegible] के लिए बनाया गया [illegible]रोड निर्माण।
- [illegible]क भवन के सेटबैक में [illegible] कैंटीन हटाई।
- पहली, [illegible] व चौथी मंजिल पर [illegible] कैंटीन।